

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/28/2018-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा डॉ. राघव लंगर, आई.ए.एस. (उत्तराखंड:2009) का वैयक्तिक आधार पर उत्तराखंड संवर्ग से जम्मू और कश्मीर संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।